सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं. उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारीः–रमेश देव (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद : बाबत इस्तकरार हक व खाता तकसीम
नम्बर मुकदमा – 261/2023 निर्णय दिनांकः–

1 अमृतपाल सिह पुत्र सुखजीत सिह जाति जटसिख सा. भगतपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
2 हरपाल सिह पुत्र सुखजीत सिह जाति जटसिख सा. भगतपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

– वादीगण

बनाम

1 सुखजीत सिह पुत्र ठाकर सिह जाति जटसिख सा. भगतपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
2 बलजीत कौर पुत्री सुखजीत सिह जाति जटसिख सा. भगतपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
3 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह. संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित
श्री नक्षत्र सिह सिद्धू – अधिवक्ता वादी
श्री चरणजीत सिह सिद्धू – अधिवक्ता प्रति स. 1 व 2

निर्णय

उक्त अनुवानी वाद पत्र वादीगण की तरफ से जरिए वकील उक्त तथ्यों के आधार पर पेश किया गया कि वादीगण एवं प्रति स. 1 व 2 एक ही सयुक्त परिवार के सदस्य है।जिनके परिवार की वंशावली दावा की दफा 2 में दर्ज है।वादीगण व प्रति स. 2 के पिता प्रति स. 1 सुखजीत सिह पुत्र ठाकर सिह के नाम चक 13 बी.जी.पी. खाता स. 144/109 खाता सुखजीत सिह ज.स. 2073–76 में कुल 5.450 है0 आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रति स. 1 के नाम के नाम दर्ज आराजी हम वादीगण व प्रति स. 2 की जददी जायदात है। जिसमें वादीगण व प्रति स. 2 का जन्म से ही हक व हिस्सा बनता है। प्रति स. 2 ने अपने समस्त हक व हिस्सा का परित्याग हम वादीगण के पक्ष में कर दिया है। घरू बंटवारा मुताबिक वादीगण के हिस्सा प्रति स. 1 के नाम दर्ज आराजी मे से 5.197 है0 आराजी ब.हि.ब. के हिसाब से वादीगण के हिस्सा में आई है। अतः वादीगण वादग्रस्त आराजी मे प्रति स. 1 के नाम दर्ज आराजी मे से 5.197 है0 आराजी के ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है। इसी कदर की घोषणात्मक डिक्री वादीगण प्राप्त करना चाहते है। प्रति स. 1 के नाम दर्ज उक्त वादग्रस्त आराजी के घरू बंटवारा में वादीगण के हिस्सा में दावा की दफा 5 के अनुसार आराजी आई है।वादीगण दावा की दफा 4 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करवा अपना खाता दावा की दफा 5 के अनुसार अलग कायम करवाना चाहते है। कब्जाकाश्त बाबत कोई विवाद नही है। लेकिन उक्त आराजी उक्तानुसार वादीगण के नाम दर्ज नही होने के कारण वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर बुरा प्रभाव पडता है । इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा इस बाबत निवेदन किया किन्तु वे पहले तो

10/6/23
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल बोलावाली

वे टालमटोल करते रहे लेकिन पिछले सप्ताह वे वादीगण के इस निवेदन से स्पष्ट इंकारी हो गये । बस यही विनाय दावा है।अतः घोषणा इस अमर की जारि फरमाई जावे कि चक 13 बी.जी.पी. खाता स. 144/109 खाता सुखजीत सिह ज.स. 2073–76 में प्रति स. 1 के नाम दर्ज आराजी मे से 5.197 है0 आराजी के वादीगण ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। अतः उक्त खाता से प्रति स. 1 का हिस्सा कम किया जाकर उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम ब.हि.ब. के हिसाब से दर्ज की जावे। उक्त आराजी में प्रति स. 2 का कोई हक व हिस्सा नही है।तथावादीगण का खाता दावा की दफा 5 के अनुसार अलग कायम किया जाकर रकमराज अलग कायम की जावे।

उक्त वाद पेश होने पर तथा सीगेदार की रिर्पोट होने के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रति स. 1 व 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाब सहमति का जवाब दावा पेश किया। जो शामिल मिसल है। प्रति स. 1 वप 2 तथा वादीगण का राजीनामा पेश हुआ जो शामिल मिसल है।।प्रति स. 3 की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया जो शामिल मिसल है। साक्ष्य वादी में वादी स. 2 हरपाल सिह का शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश किया। जो शामिल मिसल है।

बहस अभिभाषकगण सुनी गई। वादीगण अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण ने काशत की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परस्पर सहमति से घरू विभाजन वादग्रस्त आराजी का कर लिया है तथा उसी अनुसार मौका पर काश्त कर रहे है। कब्जा काश्त के संबंध मे कोई विवाद नही है, किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजी वादीगण के नाम से दर्ज नही होने से खातेदारी अधिकारो पर विपरित प्रभाव पड रहा है। वादीगण के वाद का कोई विरोध नही है।

बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। नकल फोटोप्रति चक 13 बी.जी.पी. खाता स. 144/109 खाता सुखजीत सिह ज.स. 2073–76 पेश है। जो कि प्रदर्श 1 है।वादीगण्रा के वाद का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र का कोईविरोध नही होने से सहमती के आधार पर मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाता है कि चक 13 बी.जी.पी. खाता स. 144/109 खाता सुखजीत सिह ज.स. 2073–76 में प्रति स. 1 के नाम दर्ज आराजी मे से 5.197 है0 आराजी के वादीगण ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। अतः उक्त खाता से प्रति स. 1 का हिस्सा कम किया जाकर उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम ब.हि.ब. के हिसाब से दर्ज की जावे। उक्त आराजी में प्रति स. 2 का कोई हक व हिस्सा नही है।तथावादीगण का खाता दावा की दफा 5 के अनुसार अलग कायम किया जाकर रकमराज अलग कायम की जावे।

निज.....X..... मुब्लिक.....X..... बाबत.....X.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .....X..... को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक.....10.6.2023..... को जारी की गई।

नोटः– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

(हस्ताक्षर) 10.6.23

(रमेश देव)
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी)
शिविर संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिकी एंव मुकदमे ईब्तदाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

1 अमृतपाल सिह पुत्र सुखजीत सिह जाति जटसिख सा. भगतपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

2 हरपाल सिह पुत्र सुखजीत सिह जाति जटसिख सा. भगतपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

– वादीगण

बनाम

1 सुखजीत सिह पुत्र ठाकर सिह जाति जटसिख सा. भगतपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

2 बलजीत कौर पुत्री सुखजीत सिह जाति जटसिख सा. भगतपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

3 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह. संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित
श्री नक्षत्र सिह सिद्धू – अधिवक्ता वादी
श्री चरणजीत सिह सिद्धू – अधिवक्ता प्रति स. 1 व 2

मु. स . 261 / 2023 दावा अर्न्तगत धारा 88 / 53 आर.टी.ए.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिह सिद्धू एड. वादीगण व श्री चरणजीत सिह सिद्धू एड. प्रति स. 1 व 2 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादीगण डिकी किया जाता है कि चक 13 बी.जी.पी. खाता स. 144 / 109 खाता सुखजीत सिह ज.स. 2073–76 में प्रति स. 1 के नाम दर्ज आराजी मे से 5.197 है0 आराजी के वादीगण ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। अतः उक्त खाता से प्रति स. 1 का हिस्सा कम किया जाकर उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम ब.हि.ब. के हिसाब से दर्ज की जावे। उक्त आराजी में प्रति स. 2 का कोई हक व हिस्सा नही है।तथावादीगण का खाता दावा की दफा 5 के अनुसार अलग कायम किया जाकर रकमराज अलग कायम की जावे।दावा की दफा 5 निम्नप्रकार से है:–

वादी स. 1 अमृतपाल सिह पुत्र सुखजीत सिह व वादी स. 2 हरपाल सिह पुत्र सुखजीत सिह का ब.हि.ब. के हिसाब से हिस्सा:–

चक 13 बी.जी.पी.

183 / 153	26	25 / .253 = 0.253 है0
184 / 154	30	1 / 2 / .019 10 / 2 / .019 11 / 2 / .019 12 / 2 / .006 = 0.063 है0
184 / 155	37	4 / 1 / .228 4 / 2 / .025 6 / 1 / .228 6 / 2 / .025 7 / .253 8 / 2 / .126 14 / 2 / .126 = 1.011 है0
185 / 148	2	5 / 3 / .025 6 / 3 / .025 15 / 3 / .025 = 0.075 है0
185 / 156	39	21 ता 24 / .253प्र. = 1.012 है0
185 / 157	48	1 ता 4 / .253प्र. 6 / 1 / .228 6 / 2 / .025 7 ता 10 / .253प्र. = 2.277 है0
185 / 158	49	4 / .253 5 / 1 / .228 5 / 2 / .025 = 0.506 है0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल...
10/6/23

निज.....✗..... मुब्लिक.....✗..... बाबत.....✗.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .....✗..... को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक.....10/6/2025..... को जारी की गई।

नोटः— यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

10/6/25

(रमेश देव)

सहायक कलैक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी

समरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official